न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
रसद अपील संख्याः 01/2024
दायर दिनांकः 05.11.2024
निर्णय दिनांक 15.04.2025

—:अनवान:—

श्री फतह सिंह पिता श्री चुन सिंह जी रावत, उचित मूल्य दुकानदार छापली बी, ग्राम पंचायत छापली, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.) —— **प्रार्थी**

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) —— **अप्रार्थी**

न्यायालय जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 07 सन् 2024 बअनवान सरकार बनाम फतह सिंह में दिनांक 12/08/2024 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान और अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण के विनियमन आदेश) 1976

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश त्रिपाठी,, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अप्रार्थी

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने न्यायालय जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द के प्रकरण संख्या 07/2024 निर्णय दिनांक 12.08.2024, बअनवान सरकार बनाम फतह सिंह में पारित आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान और अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण के विनियमन आदेश) 1976 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के रूप में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के क्रय–विक्रय तथा विक्रय हेतु भण्डारण के लिये प्राधिकार पत्र संख्या 10/2023 दिनांक 31/05/2023 को जारी किया गया और उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा आवंटित क्षेत्र **"स्थान ग्राम छापली बी, तहसील भीम"** पर उचित मूल्य की दुकान का कारोबार नियमित विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों व नियमानुसार किया जाता रहा। दिनांक 06/03/2024 को रेस्पोडेण्ट विभाग के रसद अधिकारी श्री रणजीत सिंह सिसोदिया द्वारा प्रार्थी की उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर गेंहू कम पाया जाना, गौदाम नक्शानुसार नहीं पाया जाना, प्रमाणित मौका नक्शा गौदाम के स्थान पर न होकर अन्य स्थान पर पाया जाना, स्टॉक बोर्ड में इन्द्राज नहीं पाया जाना आदि अनियमितता के साथ अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12/08/2024 को प्रार्थी का उक्त प्राधिकार–पत्र निलम्बित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल कारित की हैं, जिस

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निलम्बन आदेश के विरूद्ध यह अपील इन आधारों पर सादर प्रस्तुत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध विपक्षीगण आदेश पारित करने में भारी तथ्यात्मक कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अपीलाण्ट को नवीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया था जिसके क्रम में अपीलाण्ट द्वारा गेंहू की गाड़ी खाली कराते समय विद्युत आपूर्ति बाधित होने से बारदानों का वजन नहीं किया गया था। इस जानकारी के अभाव में गेंहू 1.44 क्विंटल कम पाये गये थे। अपीलाण्ट द्वारा क्रयशुदा गेंहू बिल अनुसार मौजूद थे गेहू कम या अधिक नहीं थे। अपीलाण्ट ने अपने गौदाम में रखे गेंहू/अनाज के भण्डारण हेतु पूर्व सत्यापित दुकान छोटी होने से निकट समीप स्थित दुकान में गौदाम संचालित करने के सम्बन्ध में कार्यालय अधिकारी से दुरभाष बातचीत की थी और उनके निर्देशानुसार नवीन नक्शा/ब्ल्यू प्रिंट बनवाकर ग्राम पंचायत छापली के सरपंच से तस्दीक करवा दिनांक 03/03/2024 को रेस्पोडेण्ट अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र सहित प्रस्तुत हुआ, परन्तु तत्कालिक रसद अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जानकारी के अभाव में अपीलाण्ट उक्त प्रार्थना–पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाया, जो कि वाकियाती भूल हैं। मौके पर घोषित स्टॉक के अनुसार 34.79 क्विंटल गेहू स्टॉक में भण्डारित थे, परन्तु उक्त स्टॉक प्राधिकार में अंकित स्थान से कुछ दूरी पर था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारी को सूचित किया था। अपीलाण्ट को नवीन प्राधिकार–पत्र प्राप्त हुआ था. जिसके जरिये अपीलाण्ट नियमित व नियमानुसार ही राशन वितरण का कार्य पूर्ण ईमानदारी व जिम्मेदारी से कर रहा था. परन्तु स्थानीय व्यक्तियों में अपीलाण्ट से द्वैषता रखने वाले एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्तियों द्वारा अपीलाण्ट की झूठी शिकायतें की गयी और अपीलाण्ट को कालाबाजारी का आरोपी ठहराया गया, जबकि अपीलाण्ट किसी भी राजनैतिक जातिगत भेदभाव में संलिप्त नहीं है एवं सरकार की गरीब लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने का दायित्व बखूबी निभाया है। अपीलाण्ट ने कभी भी रेस्पोडेण्ट द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और नियमानुसार ही कार्य सम्पादित किये हैं। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ। सूचना मिलने पर अपीलाण्ट ने तुरन्त ही अपना जवाब प्रेषित कर वस्तु स्थिति से माननीय अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा दिया था, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं देकर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल कारित की है। अपीलाण्ट द्वारा अपने कार्य के सम्पादन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। बल्कि अपीलाण्ट ने जो माल गेंहू ट्रेडर्स से जिस मात्रा में क्रय किया था, वह माल ग्राहको को विक्रय करने के पश्चात् भी बराबर मात्रा में मौजूद था, जिसका सम्पूर्ण आवक–जावक एवं शेष माल की प्रविष्टीयां मौजूद थी।जब अपीलाण्ट को आवंटन हुआ था, तब इंस्पेक्टर साहब मौका रिपोर्ट तस्दीक करने हेतु आये थे। उस समय ही अपीलाण्ट द्वारा उन्हें यह बता दिया गया था कि गोदाम छोटा होने से ठीक पास वाली नवनिर्मित दूकान में गोदाम शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में जो भी औपचारिकताएं करनी हो, आप बता देवें, जिस पर इस्पेक्टर साहब द्वारा बताया गया था कि गोदाम के लिए जगह अधिक चाहिए और नवनिर्मित दूकान ही उचित रहेगी। इंस्पेक्टर साहब की रिपोर्ट में एक जगह दूकान संचालित होना व एक जगह गोदाम संचालित होना, बताया गया हैं। जबकि अपीलाण्ट की दूकान आवंटन की दिनांक से नियमित सुचारू हैं। स्थानीय निवासीयों को कोई शिकायत नहीं हैं। जब अपीलाण्ट का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया था, तब भी ग्रामवासियों ने अपीलाण्ट के पक्ष में स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को जरिये प्रार्थना–पत्र लाईसेंस पुनः सुचारू करने हेतु निवेदन किया था। अपीलाण्ट की दूकान पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें बारदाने वाहन से खाली होने एवं ग्राहको द्वारा राशन ले जाने एवं अन्त में इंस्पेक्टर साहब द्वारा निरीक्षण करने तक

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)

की रिकॉर्डिंग नियमित रूप से होती रही हैं, जिससे स्पष्ट प्रतीत हैं कि अपीलाण्ट द्वारा गेंहू की कालाबाजारी नहीं की गई हैं। अपीलाण्ट को लाईसेंस प्राप्त हुए एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ हैं। अपीलाण्ट पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करता रहा। परन्तु अपीलाण्ट से द्वेषता रखने वाले व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्तियों द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत कार्यवाही हुई हैं। अपीलाण्ट के विरूद्ध जो शिकायत दी गई हैं, उसकी भी सूचना अपीलाण्ट ने चाही, जो अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट ने आज दिनांक तक नहीं दी हैं। वक्त निरीक्षण इंस्पेक्टर साहब ने अपीलाण्ट को बोलने का अवसर नहीं दिया और बिना सुने ही अपने मन–मुताबिक बनाई निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिये और हस्ताक्षर न करने पर अपीलाण्ट के विरूद्ध अन्य प्रकरण दर्ज करने की धमकी भी दी गई। अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट बनाई गई है। मौके पर अनियमितता सम्बन्धी कोई आलामात नहीं थे और यदि सामान्य नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं थी, तो चुकि अपीलाण्ट को नवीन लाईसेंस प्राप्त हुआ. अपीलाण्ट सामान्य नियम, दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में समय–समय पर रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में जाकर पूछताछ करता रहता और भण्डारण अन्य स्थान पर स्थापित करने के सम्बन्ध में भी अपीलाण्ट पेश हुआ था। परन्तु अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र पर विचार करने से पूर्व ही निरीक्षण कर लाईसेंस को निरस्त कर दिया गया जो कि अपीलांट के विरूद्ध एक साजिश होकर अवैद्य व निराधार है। अपीलान्ट ने जनसेवा करने के उद्देश्य से उक्त दूकान का लाईसेन्स प्राप्त किया था और पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य कर रहा था। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.08.2024 को जारी हुआ। नकल लेने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2024 को पेश किया जो नकल दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त हुई जिस पर तुरन्त अपील तैयार करा अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.08.2024 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का अधिकार पत्र सुचारू कराया जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के रूप में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के क्रय–विक्रय तथा विक्रय हेतु भण्डारण के लिये प्राधिकार पत्र संख्या 10/2023 दिनांक 31/05/2023 को जारी किया गया और उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा आवंटित क्षेत्र **"स्थान ग्राम छापली बी, तहसील भीम"** पर उचित मूल्य की दुकान का कारोबार नियमित विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों व नियमानुसार किया जाता रहा। दिनांक 06/03/2024 को रेस्पोडेण्ट विभाग के रसद अधिकारी श्री रणजीत सिंह सिसोदिया द्वारा प्रार्थी की उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

पर गेंहू कम पाया जाना, गौदाम नक्शानुसार नहीं पाया जाना, प्रमाणित मौका नक्शा गौदाम के स्थान पर न होकर अन्य स्थान पर पाया जाना, स्टॉक बोर्ड में इन्द्राज नहीं पाया जाना आदि अनियमितता के साथ अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12/08/2024 को प्रार्थी का उक्त प्राधिकार–पत्र निलम्बित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल कारित की हैं अपीलाण्ट को नवीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया था जिसके क्रम में अपीलाण्ट द्वारा गेंहू की गाड़ी खाली कराते समय विद्युत आपूर्ति बाधित होने से बारदानों का वजन नहीं किया गया था। इस जानकारी के अभाव में गेंहू 1.44 क्विंटल कम पाये गये थे। अपीलाण्ट द्वारा क्रयशुदा गेंहू बिल अनुसार मौजूद थे गेहू कम या अधिक नहीं थे। अपीलाण्ट ने अपने गौदाम में रखे गेंहू/अनाज के भण्डारण हेतु पूर्व सत्यापित दुकान छोटी होने से निकट समीप स्थित दुकान में गौदाम संचालित करने के सम्बन्ध में कार्यालय अधिकारी से दुरभाष बातचीत की थी और उनके निर्देशानुसार नवीन नक्शा/ब्ल्यू प्रिंट बनवाकर ग्राम पंचायत छापली के सरपंच से तस्दीक करवा दिनांक 03/03/2024 को रेस्पोडेण्ट अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र सहित प्रस्तुत हुआ, परन्तु तत्कालिक रसद अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जानकारी के अभाव में अपीलाण्ट उक्त प्रार्थना–पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाया, जो कि वाकियाती भूल हैं। मौके पर घोषित स्टॉक के अनुसार 34.79 क्विंटल गेहू स्टॉक में भण्डारित थे, परन्तु उक्त स्टॉक प्राधिकार में अंकित स्थान से कुछ दूरी पर था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारी को सूचित किया था। अपीलाण्ट ने कभी भी रेस्पोडेण्ट द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और नियमानुसार ही कार्य सम्पादित किये हैं। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ। सूचना मिलने पर अपीलाण्ट ने तुरन्त ही अपना जवाब प्रेषित कर वस्तु स्थिति से माननीय अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा दिया था, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं देकर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल कारित की है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.08.2024 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का अधिकार पत्र सुचारू कराया जाने का आदेश फरमावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि दिनांक 06.03.2024 को जिला रसद विभाग के रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फतहसिंह पिता चुनसिंह रावत कि भीम तहसील की उचित मूल्य दुकान छापली बी का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रपत्र अनुसार दौराने निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर सूचना का अंकन नहीं पाया गया, मौके पर 1.44 क्विंटल गेहूं कम पाये गए, मौके पर गोदाम नक्शे अनुसार नहीं पाया गया, प्रमाणित मौका नक्शा गोदाम के स्थान पर अन्य स्थान पर गोदाम बनाकर दुकान संचालन किया जाना पाया गया। निरीक्षण में उक्त अनियमितताएं पाए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी फतहसिंह पिता चुनसिंह रावत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया, जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अंसतोषप्रद मानते हुए व कम पायी गयी राशन सामग्री के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाकर अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किए गए। अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण के दौरान

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मौके पर पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य/सबूत इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान छापली बी के निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। जो कि नियमानुसार व विधिसम्मत पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)